आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी हेतु शर्ते

1. नीलामी की दिनांक को बोलीदाता की आयु 18 वर्ष या उससे कम नहीं होनी चाहिए तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. बोली बोलने से पूर्व बोलीदाता को चाहिए कि वह नीलाम होने वाले सामान की भली-भाँति जानकारी कर लें व उसे देख लें। पूर्ण संतुष्टि होने के बाद ही नीलामी में प्रतिभाग करें। किसी भी प्रकार की सशर्त बोली मान्य नहीं होगी।
3. बोलीदाता को जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा।
4. बोलीदाता को पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नम्बर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही वह नीलामी में प्रतिभाग कर सकेगा।
5. बिक्रीकर/व्यापार कर/इनकम टैक्स अथवा अन्य स्थानीय कर जो भी देय होगें वे उच्चतम बोलीदाता को स्वयं देय होगें।
6. बोलीदाता के निमित्त अन्य व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लेने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को बोलीदाता द्वारा प्रदत्त अधिकार-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बोली बोलने से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को रू0 0.50 लाख, जमानत धनराशि/अग्रिम धनराशि/अग्रिम निधि, बैंक ड्रफ्ट के रूप में सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण के पक्ष में नीलामी की तिथि से दो दिवस पूर्व जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता के संदर्भ में यह राशि उच्चतम बोली की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी।
8. उच्चतम बोलीदाता की जमानत धनराशि को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की जमानत/अग्रिम धनराशि निलामी समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जायेगी, किन्तु जब तक प्रथम उच्चतम बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं करा देते है तब तक द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की जमानत वापस नहीं की जायेगी।
9. उच्चतम बोली, बोले जाने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता तत्काल 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी, जिसमें से जमानत/अग्रिम/अग्रिम निधि के रूप में जमा धनराशि समायोजित होगी। शेष 50 प्रतिशत धनराशि उच्चतम बोलीदाता के द्वारा नीलामी स्वीकृति के तीन दिवस में जमा करानी होगी।
10. जो भी निष्प्रयोज्य सामग्री नीलाम की जा रही है, वह जैसा है जहाँ के आधार पर की जा रही है जो बोलीदाता को मान्य होगी, जिसके लिए बोलीदाता द्वारा किसी भी वाद-विवाद की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जायेगा।
11. उच्चतम बोली के स्वीकृत होने एवं 100 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा होने व जी0एस0टी0 जमा करने के उपरान्त ही नीलाम हुई सामग्री उठवायी जायेगी।
12. नीलाम हुई सामग्री के लोडिंग-अनलोडिंग का प्रबन्ध एवं उस पर होने वाला व्यय भी उच्चतम बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
13. नीलामी तिथि से जब तक उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक बोलियाँ स्थिर व बाध्यकारी रहेंगी। किसी कारण से उक्त अवधि में पहली बोली वापस लेने की दशा में बोलीदाता द्वारा जमा की गई जमानत की अग्रिम धनराशि प्राधिकरण कोष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
14. प्रथम उच्चतम बोलीदाता द्वारा यदि निश्चित समयावधि में शेष 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो ऐसे स्थिति में द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को यह धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा करायी गयी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

15. बोलीदाता का यह दायित्व होगा कि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त कार्यालय द्वारा जारी पत्र यदि वह स्वयं कार्यालय आकर प्राप्त नहीं करता है तो ऐसी दशा में उक्त पत्र एवं उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा का निर्णय बोलीदाता पर तामील माना जायेगा और तद्नुसार पत्र में दी गयी अवधि में यदि धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो पूर्व में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

16. नीलामी के समय "नीलामी समिति" को किसी भी बोली को स्थगित करने, नीलाम के समय उत्पन्न ऐसी स्थितियों जिनका उल्लेख उक्त शर्तों में नहीं है, के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार होगा व बोलीदाता उन्हे मानने को बाध्य रहेगा।

17. बोलीदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि नीलाम होने वाले सामान का अवश्य ही स्थल पर निरीक्षण कर लें, एक बार बोली प्राप्त होने के पश्चात् बोलीदाता की यह आपत्ति कि उन्होने सामान नहीं देखा था, पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

18. किसी भी बोली को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी बोलीदाता की किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

19. नीलामी स्थल पर मोबाइल फोन लाना वर्जित है।

20. नीलामी के समय कोई भी बोलीदाता अथवा उनके साथ आने वाला व्यक्ति, किस भी प्रकार का धारदार अथवा आग्नेय शस्त्र लेकर नहीं आयेगा यदि ऐसा पाया जाता है तो बोलीदाता की जमानत धनराशि जब्त करते हुए शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने हेतु जिलाधिकारी महोदय से सिफारिश की जायेगी।

21. नीलामी शर्तो के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में वह उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के द्वारा तय किया जायेगा व इण्डियन आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत निर्णीत होगा।

22. किसी भी विवाद की दशा में न्यायिक क्षेत्र आगरा स्थित न्यायालय होगा।

घोषणा

नीलामी समिति के समक्ष, मैं निम्न बयान/घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्ते भली-भाँति पढ़कर समझ ली गयी हैं तथा पूर्ण जानकारी भी कर ली गयी है। मैं जिस सामग्री की बोली, बोल रहा हूँ/रही हूँ, उसका स्वयं मौके पर निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। मैं पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् प्राधिकरण की शर्तों एवं नियमों की जानकारी होने के साथ बोली, बोल रहा हूँ/रही हूँ। मैं समस्त शर्तों एवं प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का भी वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता ....

नाम (साफ अक्षरों में) ....

पता ....

....

फोन/मोबाइल नं0 ....

कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.